

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
बड़जलास - चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 31/2025

**प्रार्थी**  
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा  
अधिकारी कार्यालय मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी कम अभिहित  
अधिकारी, नागौर

**बनाम**

**अप्रार्थी**  
1 हरि राम पुत्र राधा किशन निवासी वॉर्ड नम्बर 02, राजोद, नागौर।  
मैसर्स:- जनता स्वीट्स रेस्टोरेन्ट एण्ड होटल, बस स्टेण्ड, तहसील चौराहा,  
जायल, नागौर।

**आदेश**


दिनांक :25.11.2025

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 01-05-2025 को मैसर्स जनता स्वीट्स रेस्टोरेन्ट एण्ड होटल, बस स्टेण्ड, तहसील चौराहा, जायल, नागौर पर खाद्य पदार्थ दही (लूज) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 3411 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/709/एक्ट /2025/729 दिनांक 15.05.2025 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ दही (लूज) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त हरि राम पुत्र राधा किशन निवासी वॉर्ड नम्बर 02, राजोद, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्राथी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 23-07-2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया। अप्राथी ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से दही (लूज) का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। भविष्य में दही (लूज) बेचते समय ध्यान रखूंगा। अप्राथी ने दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/709/एक्ट /2025/729 दिनांक 15.05.2025 के अनुसार खाद्य पदार्थ दही (लूज) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्राथी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्राथी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्राथी हरि राम पुत्र राधा किशन निवासी वॉर्ड नम्बर 02, राजोद, नागौर पर रुपये 20,000/- अक्षरे बीस हजार रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्राथी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्राथी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्राथी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(चम्पालाल जीनगर)  
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर (राजस्थान)